



आपके कामगार के लिए संपूर्ण

सुरक्षा

Overall
SURAKSHA
for your Workman

हम आपके द्वामपार
की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं

We ensure that your

Workmen is Secured

रेट रेटिंग अधिनियम, 1923 - 2009 के संशोधन 45.
Employers' Compensation Act, 1923 - Amendment 45 of 2009.



दि न्यूइन्डिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड्

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

भारत की अग्री मेर-जीवन बीमा कंपनी

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.

(Wholly owned by the Govt. of India)

Vakimnath - P2009@yahco.in

आईएसओसी कंपनी के लिए अपने नजदीक के
न्यूइन्डिया एश्योरेस कंपनी के लिए चिपोर्ट मार्ग दिया गया है।
कानूनी व्याजमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्य होगा।

दि न्यूइन्डिया एश्योरेस कंपनी के लिए दाता नहीं कर सकता। कामगार दोनों हाथों से ताप प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अपने दाता नियामन के प्रदृष्टि का चयन करना होगा। यह दो दैरिक दर्ते हैं जिन्हें सहायता और दिया निर्देश हेतु दिया गया है। 1-1-2007 से प्रशुल्क मुद्रितकरण लागू होते के कारण दर्ते संबंधित कंपनी निश्चित करते हैं।

इसे अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके आवश्यक किया जा सकता है। तक दोमा राशि

Medical Expenses	% of Premium
Sum Insured upto	It can be covered by charging extra premium.
Rs. 25,000	10% W.C. Premium
Rs. 50,000	20% W.C. Premium
Rs. 1,00,000	40% W.C. Premium or as decided by the company.
No Discount to be given Medical expenses	

सरकारी नियमानुसार इसका उल्लंघन करना अवश्यक है।

Minimum Premium : Rs. 50 + Service Tax

- (1) Loss of wages due to accident + medical expenses shall be paid by Co. directly to insured. However death / P.T.D claim to be settled through W.C. commissioner / Labour Court.
 - (2) Stamp fee is 10 paisa per Rs. 100/- premium - e.g. Rs. 1/- for Rs. 1,000/- or Rs. 150/- & Rs. 2/- for 2000 premium.
 - (3) Cancellation : No refund may be granted for the cancellation of annual policies unless the policies are cancelled by the company as provided under policy condition No.7.
- (This regulation does not affect the provision in policy condition no. 6 for adjustment of premium at the normal termination of any period of insurance or at the termination of the work which was the subject of insurance.)

Claim Procedure/Requirement :

1. ऑफिसी सं., दुर्घटना की तारीख, कामगार का नाम / अस्तालत का विवरण देते हुए दुर्घटना देखा।
2. पूरी तरह से भरा हुआ दावा प्राप्ति।
3. मूल विल, सुगतान रसीद, पोल के साथ एस-रे रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन।
4. उपचार कर रहे हॉस्पिटर / उस्पताल से स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
5. जाँच चिपोर्ट यदि कोई होते।
6. प्रावित लकड़ियों के अधिकता की सूची, यदि लागू हो।
7. मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, यदि लागू हो तो चक्रान्ता।
8. मजदूरी समायोजन विवरण।
9. मजदूरी और उपस्थित रजिस्टर।
10. अपु समान-पत्र।
11. अन्य कोई काजात / जिसके लिए चिपोर्ट मांगी गई हो।

अपनी कंपनी का आशासन
ASSURANCE OF THE LEADER

दि न्यूइन्डिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड्
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
भारत की अग्री मेर-जीवन बीमा कंपनी
India's Premier Non-life Insurance Company

एजेंसी विभाग
मुंबई लेनिय फार्मलिय - 1
Agency Cell
Mumbai Bhawan, 34/38, Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.

For further details contact your
nearest NIA Office.
For legal interpretation English version
will hold good.

"Insurance is the subject matter of Sollicitation"

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के
न्यूइन्डिया एश्योरेस कंपनी के लिए कार्यालय से संपर्क करें।

न्यूइन्डिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्य होगा।
कानूनी व्याजमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्य होगा।

